

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला-अजमेर

कमांक/रीडर/2021/

दिनांक


प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136एल.आर.एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक- 28/02/2022

तहसीलदार सावर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर महोदय अजमेर के आदेश कमांक 161 दिनांक 8.9.2010 से जारी आदेश में ग्राम सावर के अराजी खसरा नम्बर 2321 रकबा 10.08 मे से 1.25है, ख.न. 2322 रकबा 10.07 में से 1.25है0, खसरा नंबर 2324 रकबा 7.21है0, में से 1.50है किस्म गै.मु. पटार में से कुल 4 हैक्टर भूमि मॉडल स्कूल सावर हेतु आरक्षित की गयी थी। उक्त आदेश के क्रम में नामान्तरण संख्या 1871 दिनांक 13.11.10 द्वारा पटवारी हल्का सावर द्वारा नामांतरण सी.ओ से स्वीकृत करवाया गया। जिसमें उक्त खसरा नम्बरों की किस्म गै.मु.पटार के स्थान पर गै.मु.स्कूल एवं मैदान कर दी गयी है।

अतः प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम सावर के खसरा नम्बर 2321 रकबा 10.08 में 1.25है., ख.न. 2322 रकबा 10.07 में से 1.25है., खसरा नंबर 2324 रकबा 7.21है0, में से 1.50है किता 3 कुल रकबा 4हैक्टर की किस्म गै.मु.पटार किये जाने के आदेश दिये जाता है तहसीलदार सावर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे।


(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी,

